New Delhi, the 10th November, 2017

G.S.R. 411.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, (Programmer) Recruitment Rules, 1986 namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, (Programmer) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board (Programmer) Recruitment Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"**2.Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.".

3. In the Schedule to the said rules, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix
4
Level-10 (Rs.56100) in the pay matrix.".

[F. No. A.31011/06/2017-GWE]

R. N. DIXIT, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 576, dated the 2nd August, 1986.

नई दिल्ली,10 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 412.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड बिजली मिस्त्री, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में बिजली मिस्त्री (उच्च कुशलता) श्रेणी-I, श्रेणी- II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, में बिजली मिस्त्री (उच्च कुशलता) श्रेणी-I, श्रेणी-II भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनूसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को उस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
बिजली मिस्त्री (उच्च कुशलता) श्रेणी – I	02* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग'), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु. 29200) में स्तर-5

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन या किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: ऐसा बिजली मिस्त्री (उच्च कुशलता) श्रेणी - II जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो । प्रशिक्षण: राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर या किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थान से संसुगत क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि/प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. बिजली मिस्त्री (उच्च कुशलता) श्रेणी – II	02* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग'), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु. 25500) में स्तर-4

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	(18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारी जो साधारण श्रेणी के है के लिए शिथिल कर 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल कर 45 वर्ष तक की जा सकती है। **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है	**आवश्यक :** (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से मैट्रिक (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ईलेक्ट्रिशियन के ट्रेड में प्रमाण पत्र। (iii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ईलेक्ट्रिशियन के रूप में आटोमोबाइल और इंजीनियरी वर्कशॉप में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ केन्द्रीय

	टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयुसीमा अवधारित करने ले लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब (कारणों के लिए लेखबद्ध किया जाए) चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि/प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए. 31013/03/2017-सीजीडब्ल्यूबी]

आर. एन. दीक्षित, अवर सचिव

New Delhi, the 10th November, 2017

G.S.R. 412.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Electrician, Group 'C' post Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Electrician (Highly Skilled) Grade-I and Grade-II**, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Electrician (Highly Skilled) Grade-I and Grade-II, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b)who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Electrician (Highly Skilled)- Grade-I.	02* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'C'), non-Gazetted, non-Ministerial.	LEVEL-5 in the pay matrix (Rs. 29200).	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	No

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method.
(9)	(10)
Not applicable	Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption is to be made.
(11)
Promotion: Electrician (Highly Skilled), Grade-II with five year regular service in Level-4 in the Pay Matrix. **Training :** Two weeks training in the relevant field/area from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or any other National level Institute.

If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee, consisting of:- 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board –Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Electrician (Highly Skilled)-Grade-II.	02* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'C'), non-Gazetted, non-Ministerial.	LEVEL-4 in the Pay matrix Rs. 25,500.	Not applicabl

(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Essential:** (i) Matriculation from recognised Board/institute (ii) Certificate in the trade of Electrician from the Industrial Training Institute; and (iii) Three years experience as Electrician in automobile and engineering workshop from a recognised Institution. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is relexable at the discretion of the Central Government (for reasons to be recorded in writing) in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	Direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:- 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board –Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A. 31013/03/2017-CGWB]

R. N. DIXIT, Under Secy.